वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय

जौनपुर

जनसंचार विभाग

विषय – जनसंचार

शीर्षक -वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

संकलन एवं प्रस्तुति

डॉ मनोज मिश्र

http://www.vbspu.ac.in/

वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

किसी सूचना या विचार को बोलकर, लिखकर या किसी अन्य रूप में बिना किसी रोकटोक के अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाती है। अत: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमेशा कुछ न कुछ सीमा अवश्य होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गयी है।

बोलने की आजादी सर्वोपरि

संविधान के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों में बोलने और विचार करने की आजादी को उच्च स्थान प्रदान किया गया है. 44 वें संविधान संशोधन के बाद सात में से बचे 6 मौलिक अधिकारों में वाक एवम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पहला स्थान दिया गया है. संविधान के अनुच्छेद 19-1 के तहत मिली वाक एवम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी विचार पर अपना मत संग्रह कर सकता है उसका प्रकाशन व प्रचार कर सकता है, व्यक्ति किसी के विचार को खंडित कर अपना खुद का विचार उस मुद्दे पर रख सकता है और स्वयं को किसी भी विचार धारा से जोड़ सकता है.

स्त्रोत- https://www.scotbuzz.org/

स्वतंत्रता का मूल मंत्र

वास्तव में जो बोलकर, लिखकर, हावभाव प्रकट कर जो विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल रूप या मूल मंत्र होता है. सब स्वतंत्रताओं में इसका स्थान सर्वोपरि इसलिए है कि बिना बोले या विचार प्रकट किए कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को प्रेषित नहीं कर सकता.

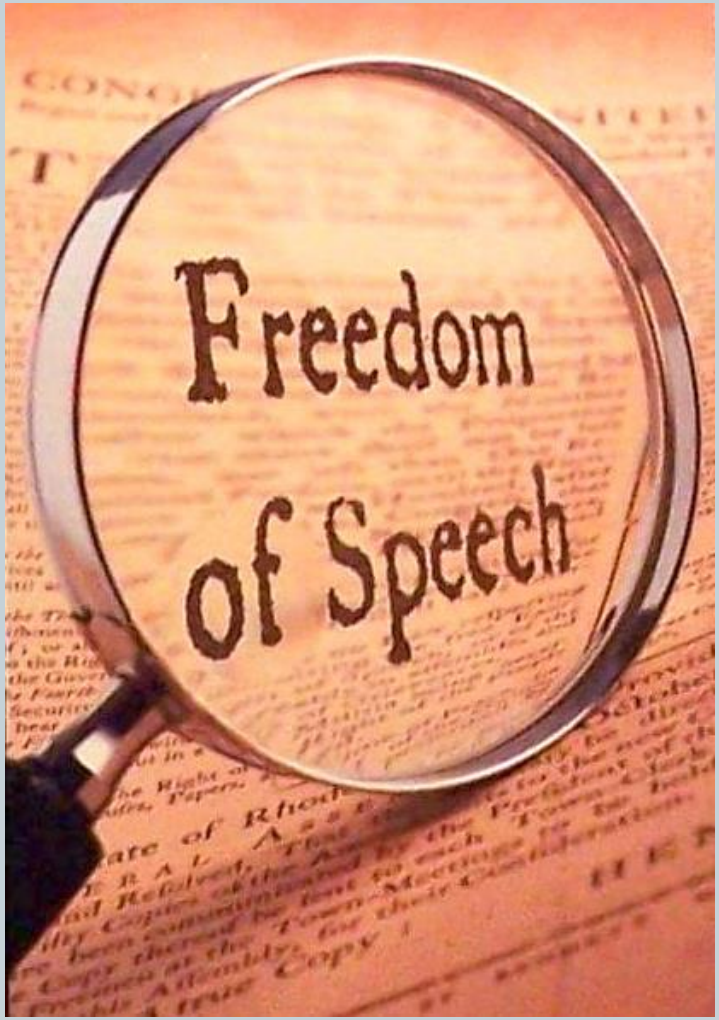

सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदत्त

- संविधान के 19 वें अनुच्छेद के तहत मिली ये वाक एवम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही है. देश का प्रत्येक नागरिक इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है. ये अधिकार स्वतंत्रता का मूल मंत्र भी कहा जाता है.

लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि तो जनता की आवाज भी

- लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है जहां हर नागरिक को न केवल अपनी इच्छा से सरकार चुनने का अधिकार होता है बल्कि वह अभिव्यक्ति के माध्यम से देश के सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक सभी मामलों में अपना मत प्रकट करने का अवसर पाता है. जब लोकतंत्र में जनता ही प्राथमिकता में है तो ऐसे में जनता की आवाज भी प्राथमिकताओं में शामिल होनी चाहिए और वास्तव में हमारा संविधान वह अधिकार हमें देता है.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं

- यूं तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसके तहत विचार व मत प्रकट करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र में सक्रिय बनाती है लेकिन समाज की कुछ मर्यादाएं भी निर्धारित की गई हैं ताकि समाज में स्वस्थ व मैत्री पूर्ण माहौल बना रहे. इसी भावना के अनुरूप वाक एवम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में सन्निहित है.
- संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के मुताबिक देश की सुरक्षा, देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती, जानबूझकर न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप, मित्रों देशों के खिलाफ, किसी की मानहानि, किसी को अपराध करने के लिए उकसाने जैसे मामले पाए जाने पर देश के कानून के अधिकार है कि वह कार्रवाई करे.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं

- राष्ट्रीय सुरक्षा
- देश की अखंडता व संप्रुभता को चुनौती
- माननीय न्यायाधीशों पर पक्षपात का आरोप
- मित्र देशों के खिलाफ कोई टिप्पड़ी
- किसी की मानहानि
- अपराध के लिए उकसाना

संदर्भ

- द्विवेदी मनीषा,2006 पत्रकारिता एवम प्रेस कानून, नई दिल्ली, कनिष्क पब्लिशर्स
- त्रिखा नंदकिशोर,,2007, प्रेस विधि वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन
- नीलमनार,एम, 2010, मीडिया ला एंड एथिक्स चेन्नई, पीएचएल लर्निंग
- मास मीडिया एंड रिलेटेड लाइन इंडिया, बी मन्ना, 2010, कोलकाता, एकेडमिक्स पब्लिशर्स